न्यायालय राजस्व परिषद, उत्तराखण्ड़, देहरादून।

निगरानी संख्या– 145/2015–16 अन्तर्गत धारा–333जमीं0वि0एवं भू0व्य0अधि0

ओमकारनाथ अग्रवाल पुत्र स्व0 श्री बिहारीलाल निवासी 4ई–इन्दर रोड (प्रीतम रोड) देहरादून।

बनाम

1– बलबीर सिंह पुत्र आशाराम निवासी ग्राम शेरपुर परगना पछवादून तहसील विकासनगर जिला देहरादून, 2. उत्तराखण्ड सरकार द्वारा कलेक्टर देहरादून, 3. ग्राम सभा शेरपुर द्वारा ग्राम प्रधान, 4. श्री कुन्दनसिंह पुत्र अवतार सिंह निवासी ग्राम शेरपुर परगना पछवादून तहसील विकासनगर जिला देहरादून, 5. श्रीमती इन्द्रा नेगी पत्नी इन्दर सिंह नेगी निवासी 660 लेन नं0 13 विजय पार्क देहरादून, 6. अर्जन विभाग मैनेजर पावर ग्रिड कारपोरेशन ऑफ इण्डिया स्थानीय कार्यालय ग्राम शेरपुर परगना पछवादून तहसील विकासनगर जिला देहरादून, 7. भूमि अज्ञाप्ति अधिकारी, देहरादून, 8 करम सिंह पुत्र फूल सिंह, 9. दौलत पुत्र धानी, 10. बालम सिंह पुत्र फूल सिंह, 11. रणदेव पुत्र शिव सिंह सभी निवासीगण ग्राम शेरपुर परगना पछवादून तहसील विकासनगर जिला देहरादून

उपस्थित : श्री पी0एस0जंगपांगी, सदस्य(न्यायिक)।

अधिवक्ता निगरानीकर्ता : श्री अरूण सक्सेना।

अधिवक्ता प्रतिपक्षीगण : श्री प्रेमचन्द शर्मा।

आदेश

यह निगरानी निगरानीकर्ता उपरोक्त ने अपर आयुक्त, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी शिविर, देहरादून द्वारा अपील संख्या–47/2014–15 बालम सिंह आदि बनाम बलवीर सिंह में पारित आदेश दिनांक 31–07–2015 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

निगरानी के संक्षिप्त तथ्य यह है कि:–

उत्तरदाता संख्या–1/वादी बलबीर सिंह ने वादग्रस्त भूमि खसरा नं0–1721 क्षेत्रफल–0.0400 हे0 खसरा नं0 1722 क्षेत्रफल 0.1250 हे0, खसरा नं0 1723 क्षेत्रफल 0.1500 हे0 एवं खसरा नं01724 क्षेत्रफल 0.4730 हे0 कुल क्षेत्रफल 0.7880 हे0 स्थित मौजा शेरपुर परगना पछवादून तहसील विकासनगर जनपद देहरादून के सम्बन्ध में एक वाद अन्तर्गत धारा–229बी जं0वि0अधि0 सहायक कलेक्टर, प्रथम श्रेणी/परगनाधिकारी विकासनगर के समक्ष दिनांक 16–01–2006 को उत्तरदाता संख्या–2, 3, 4, 8, 9, 10 एवं 11/प्रतिवादीगण के

विरूद्ध इस आधार पर प्रस्तुत किया कि वादी वादग्रस्त भूमि पर उसके मूल खातेदार की इच्छा के विरूद्ध एवं उनकी जानकारी में लगातार पिछले 20 साल से काबिज चला आ रहा है तथा मूल खातेदारों ने निर्धारित अवधि के अन्दर वादी को किसी सक्षम न्यायालय में धारा–210 ज0वि0अधि0 के अन्तर्गत वाद योजित कर बेदखली नही कराया है, कि मूल खातेदार ने अवैध रूप से वादी को क्षति पंहुचाने के उद्देश्य से विवादित भूमि अपनी जाति के बाहर एक अन्य व्यक्ति को अवैध रूप से विक्रय किया जिस पर परगनाधिकारी, विकासनगर के न्यायालय में वाद संख्या–02/12–13 सरकार बनाम बालम सिंह अन्तर्गत धारा–166/167 जमींदारी विनाश अधिनियम की कार्यवाही चलाई गई तथा उसमें दिनांक 08–09–2003 को एकतरफा आदेश पारित कर भूमि राज्य सरकार के नाम दर्ज की गई, कि जैसे ही वादी को इस अवैध कार्यवाही का ज्ञान हुआ तो उसने एक कार्यवाही पुनर्जीवन प्रार्थना पत्र दिनांक 12–05–2005 को परगनाधिकारी, विकासनगर के न्यायालय में प्रस्तुत किया जो दिनांक 14–09–2005 को निरस्त किया गया जिसके विरूद्ध न्यायालय आयुक्त गढ़वाल मण्डल, पौड़ी में निगरानी योजित की गई है जिसमें अवर न्यायालय के आदेश दिनांक 08–09–2003 का प्रभाव स्थगित रखा गया है एवं कि वादी द्वारा तद्नुसार वादग्रस्त भूमि का भूमिधर घोषित किये जाने की प्रार्थना की गई।

विद्वान सहायक कलेक्टर, प्रथम श्रेणी/परगनाधिकारी, विकासनगर ने पक्षकारों को विधिवत सुनने के उपरान्त आदेश दिनांक 21–02–2014 से वादी का वाद स्वीकार कर उसे वादग्रस्त भूमि का संक्रमणीय भूमिधर घोषित किया।

आदेश दिनांक 21–02–2014 के विरूद्ध बालम सिंह आदि द्वारा अपर आयुक्त, गढ़वाल मण्डल के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई जिसमें आदेश दिनांक 13–03–2015 से अवर न्यायालय के आदेश दिनांक 21–02–2014 के प्रभाव को अग्रिम आदेश तक स्थगित रखा गया और अन्ततः दिनांक 21–07–2015 को यह आदेश पारित करते हुए कि जिस आदेश के विरूद्ध अपील प्रस्तुत की गई है उसी आदेश के विरूद्ध राजस्व परिषद में कार्यवाही विचाराधीन है एवं एक ही आदेश के विरूद्ध पृथक–पृथक न्यायालयों में कार्यवाही विधिक दृष्टि से उचित नही है तथा सम्बन्धित पक्षकार अपनी–अपनी दावेदारी राजस्व परिषद के समक्ष कर सकते है अपील निरस्त की गई। इसी आदेश दिनांक 21–07–2015 के विरूद्ध वर्तमान निगरानी प्रस्तुत की गई है।

मैंने उभयपक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस सुनी एवं अभिलेखों का भलीभांति अवलोकन किया।

निगरानीकर्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा निगरानी की पृष्ठभूमि को रेखांकित करते हुए तर्क किया गया कि विवादित भूमि का प्रतिकर हड़पने के लिए तीसरे पक्ष को भूमिधर घोषित कराया गया है जबकि एक वाद निगरानीकर्ता द्वारा विद्वान सहायक कलेक्टर, प्रथम श्रेणी/परगनाधिकारी, विकासनगर के समक्ष प्रस्तुत किया गया है जो कि अभी भी विचाराधीन है जिसमें उत्तरदातागण द्वारा अनावश्यक रूप से अपनी उपस्थिति जानबूझकर

नही कराई जा रही है जबकि उत्तरदाता बलबीर सिंह द्वारा योजित वाद में निगरानीकर्ता को जानबूझकर पक्षकार नही बनाया गया है, कि यदि विवादित भूमि राज्य सरकार में निहित हो गई थी तो किस प्रकार उत्तरदाता बलबीर सिंह ने भूमि अधिग्रहीत होने के उपरान्त प्रतिकर प्राप्त किया गया स्वतः ही उसके कपटपूर्ण आचरण को सिद्ध करता है, कि प्रथम अपील में निगरानीकर्ता द्वारा पक्षकार बनाये जाने का आवेदन किया गया जिसे निस्तारित किये बिना आक्षेपित आदेश पारित किया गया है, कि आदेश पत्र में पारित आदेश का आशय इस न्यायालय में लम्बित निगरानी के दृष्टिगत प्रथम अपील की कार्यवाही समाप्त किये जाने का था परन्तु विस्तृत टंकित आदेश में अपील के गुण–दोष पर प्रकाश डाला गया एवं मंतव्य अंकित किया गया जो कि इस न्यायालय की अवमानना एवं न्यायिक कदाचरण (juidicial impropriety) है एवं कि आक्षेपित निर्णयादेश पारित करने में न्याय के सिद्धान्तों की अनदेखी हुई हैं।

दूसरी ओर उत्तरदाता बलबीर सिंह के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क किया है कि मूल वाद में उसी व्यक्ति को पक्षकार बनाया गया जो खतौनी में अंकित था, कि जो व्यक्ति मूल वाद में पक्षकार नही है उसे निगरानी करने का अधिकार नही है, कि निगरानीकर्ता एवं मूल भूमिधर के मध्य सांठ–गांठ है, कि उत्तरदाता बलबीर सिंह का 20 वर्ष से विवादित भूमि पर अध्यासन है जिसके सम्बन्ध में मौखिक एवं प्रलेखीय साक्ष्य प्रस्तुत किये गये है, कि प्रतिकर उसी व्यक्ति को प्राप्त होता है जो खतौनी में दर्ज है, कि प्रथम अपील कालबाधित है एवं धारा–5 मर्यादा अधिनियम के प्रार्थना पत्र पर कोई सुनवाई नही हुई है, कि निगरानीकर्ता को मूल वाद को पुनर्स्थापित करवाना चाहिए था, कि प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा बहस पूर्ण रूप से सुनने के उपरान्त ही गुण–दोष के आधार पर आक्षेपित निर्णयादेश पारित किया गया है।

विद्वान अपर आयुक्त ने उनके समक्ष योजित अपील को इस आधार पर निरस्त किया है कि इस न्यायालय में उभयपक्षों के मध्य एक निगरानी लम्बित है। प्रथम अपील मूल वाद में प्रतिवादी संख्या–1 जो कि वादग्रस्त भूमि का भूमिधर था द्वारा योजित की गई है एवं उक्त अपील इस न्यायालय में निगरानी प्रस्तुत किये जाने से पूर्व प्रस्तुत की गई है।

यह निर्विवादित है कि अपीलीय उपचार निगरानी के उपचार से अधिक सारभूत, सारवान एवं व्यापक (substantive, substantial and comprehensive) है अतः निगरानी के लम्बित होने की स्थिति में भी अपील का विकल्प श्रेष्ठतर विकल्प होने के कारण उसका वरण किया जाना चाहिए। सम्बन्धित पक्षकार इस न्यायालय में तद्नुसार आवेदन कर सकता थे कि अपीलीय उपचार का मार्ग अपनाये जाने के दृष्टिगत इस निगरानी की कार्यवाही समाप्त कर दी जाय। प्रथम अपीलीय न्यायालय में सभी सम्बन्धित पक्ष प्रतिभाग कर रहे थे। निगरानीकर्ता द्वारा वंहा पक्षकार बनाये जाने का आवेदन किया गया था जिसपर विचार किये बिना विद्वान अपर आयुक्त ने इस न्यायालय के समक्ष निगरानी लम्बित रहने के दृष्टिगत अपने समक्ष लम्बित अपील को निरस्त कर दिया गया। इस सम्बन्ध में मेरा यह सुविचारित मत है

कि प्रथम अपील का निस्तारण विधिवत सम्बन्धित पक्ष को सुनवाई का अवसर प्रदान कर न्याय हित में आवश्यक है। अतः निगरानी स्वीकार कर आक्षेपित आदेश अपास्त किये जाने योग्य है। विद्वान अपर आयुक्त ने यद्यपि इस न्यायालय में उभयपक्ष के मध्य निगरानी लम्बित होने के आधार पर प्रथम अपील की कार्यवाही निरस्त/समाप्त की है परन्तु उन्होंने अपने आक्षेपित निर्णय में यत्र–तत्र अपील के गुण–दोष (merits) पर मंतव्य/निष्कर्ष भी अंकित किया है जिसे obiter dicta की ही संज्ञा दी जा सकती है। जब तकनीकी आधार पर अपील/प्रकरण समाप्त किया जा रहा हो तो ऐसे में गुणदोष के साथ छेड़ छाड़ करने से बचा जाना चाहिए ताकि किसी भी पक्ष को ऐसे मंतव्य/निष्कर्ष से जनित अहित का सामना न करना पड़े। विशेष रूप से उस स्थिति में जबकि परीक्षण न्यायालय में समान विषय वस्तु को लेकर वाद/प्रकरण विचाराधीन हो।

निगरानी की उक्त स्थिति के दृष्टिगत उभयपक्षों के विद्वान अधिवक्तागण द्वारा प्रस्तुत अन्य गुण–दोष तर्कों पर विचार किया जाना आवश्यक नही है।

आदेश

निगरानी स्वीकार कर आक्षेपित आदेश दिनांक 31–07–2015 अपास्त कर प्रथम अपील इस आशय से प्रति प्रेषित की जाती है कि इससे सम्बन्धित पक्षकारों को सुनवाई का अवसर प्रदान कर उसका विधिसम्मत निस्तारण किया जाय। सम्बन्धित पक्षकार दिनांक 21–11–2016 को प्रथम अपीलीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत हों। अवर न्यायालयों की पत्रावली वापस तथा इस न्यायालय की पत्रावली संचित हो।

(पी0एस0जंगपांगी)
सदस्य(न्यायिक)

आज दिनांक 06–10–2016 को खुले न्यायालय में उद्घोषित, हस्ताक्षरित एवं दिनांकित।

(पी0एस0जंगपांगी)
सदस्य(न्यायिक)